## व्याख्यात्मक टिप्पणी

- 1. यह पुस्तिका अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के प्रधान कार्यालयों से प्राप्त, मूल सांख्यिकी विवरणी-7 पर आधारित सितंबर 2007 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति अनुसार कुल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण के शाखावार आंकड़े प्रस्तुत करती है।
- 2. कुल जमाराशियाँ बैंक के मांग तथा मीयादी दायित्व को दर्शाती हैं, जिनमें अंतर बैंक जमाराशियों के आंकड़े शामिल नहीं हैं। सकल बैंक ऋण में आर.बी.आय. ॲक्ट 1934 के सेक्शन 42(2) के फार्म `ए' के अंतर्गत सभी बैंकों के ऋण, (जिनमें अंतर बैंक अग्रिम शामिल नहीं हैं) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, और वित्तीय संस्थाओं के साथ पुनः भुनाये गये बिल सम्मिलित हैं।
- 3. जिन शाखाओं ने इस तिमाही में आंकड़े सूचित नहीं किये हैं उनके संबंध में नवीनतम तिमाही से उपलब्ध आंकड़े लिये गये हैं।
- 4. विवरण सं. 2 को इस प्रकाशन से बढ़ाया जा रहा है जिसमें जमाराशियों एवं ऋण की मात्रा के अनुसार सर्वोच्च स्तर के दो सौ केन्द्रों के आंकड़े दर्शाए गए हैं। वे केन्द्र जो कुल जमाराशियों अथवा सकल बैंक ऋण, के अनुसार प्रथम दो सौ केन्द्रों में आते हैं लेकिन दोनों में नहीं उनके ऋण राशि अथवा जमाराशि, के आंकड़े इस विवरण में कोष्ठकों में दिखाए गए हैं।
- 5. विवरण सं. 4 से 9 में अलग-अलग बैंक समूहों की कुल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण के राज्यवार और जनसंख्या समूहवार वितरण के आंकड़े दिखाये गये हैं। भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को उनके स्वामित्व और/अथवा उनके परिचालन की प्रकृति के अनुसार पांच बैंक समूहों में श्रेणीबद्ध किया गया है। ये बैंक समूह हैं (i) भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक (ii) राष्ट्रीयकृत बैंक (दिसंबर 2004 से आई डी बी आई लिमिटेड सहित) (iii) विदेशी बैंक (iv) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और (v) अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक । इन विवरणों में कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े महानगरीय केन्द्रों से संबंधित हैं।
- 6. विवरण सं. 17 में अनुसूचित वाणिज्य तथा सहकारी बैंकों द्वारा सेवायुक्त केन्द्रों का वितरण प्रस्तुत किया गया है।
- 7. केन्द्र वह है जिसे संबंधित राज्य/ संघशासित प्रदेश, राजस्व इकाई (रेवेन्यू यूनिट) के रूप में वर्गीकृत करे अर्थात कोई राजस्व गांव/ नगर/ शहर/ नगरपालिका/ नगरनिगम आदि जैसा मामला हो, जिसमें शाखा स्थित है।
- 8. बैंक सुविधा युक्त केंद्रों के जनसंख्या समूह वर्गीकरण के लिए पहले जहाँ 1991 की जनगणना का इस्तेमाल किया गया था वहाँ मार्च 2006 से 2001 की जनगणना के जनसंख्या आँकड़ों के आधार पर संशोधन किया गया है। परंतु, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, जनसंख्या समूहों की परिभाषा/ कट-ऑफ़ साइज़ में कोई बदलाव नहीं किया गया है :-
  - ए. `ग्रामीण' समूह में वे केन्द्र शामिल हैं जिनकी जनसंख्या 10,000 से कम है।
  - बी. `अर्ध-शहरी' समूह में 10,000 और उस से अधिक परंतु एक लाख से कम की जनसंख्या वाले केन्द्र शामिल हैं।
  - सी. `शहरी' समूह में एक लाख और उस से अधिक परंतु 10 लाख से कम की जनसंख्या वाले केन्द्र शामिल हैं।
  - डी. `महानगरीय' समूह में 10 लाख और अधिक की जनसंख्या वाले केन्द्र शामिल हैं। मार्च 2006 से जनसंख्या-समूह-वार आँकड़ों की पिछली तिमाहियों से तुलना करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए।
- 9. आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण घटक मदों की राशि से विवरणियों के कुल जोड़ का पूरी तरह मिलान संभव नहीं है। कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े, सामान्यतः कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं। ``एक करोड़'' यूनिट 10 मिलियन के बराबर है।
- 10. `-' `कुछ नहीं' या `नगण्य' का सूचक है।

## EXPLANATORY NOTES

- 1. The publication presents data on Aggregate Deposits and Gross Bank Credit of Scheduled Commercial Banks based on Basic Statistical Return-7 giving branch-wise data received from the Head Offices of banks, as on last friday of September 2007.
- 2. Aggregate Deposits represents the demand and time liabilities of a bank (excluding interbank deposits). The Gross Bank Credit represents bank credit (excluding interbank advances) as per Form 'A' return under Sec 42(2) of RBI Act, 1934 together with outstanding amount of bills rediscounted with Reserve Bank of India and Financial Institutions.
- 3. Data from the latest available quarter have been substituted in respect of branches, which did not report the data for the current quarter.
- 4. The Coverage of statement 2 is being expanded from this issue to present data for the top 200 centres ranked according to the size of their Aggregate Deposits and Gross Bank Credit. In the case of centres, which come within the first 200 centres either in terms of Aggregate Deposits or Gross Bank Credit but not both, the figures of Credit or Deposits, as the case may be, of such centres are shown in brackets in this statement.
- 5. Statement 4 to 9 present the data on State-wise and Population Group-wise distribution of Aggregate Deposits and Gross Bank Credit for individual bank-groups. Scheduled Commercial Banks in India are categorised into five groups according to their ownership and/or nature of operation. These bank groups are (i) State Bank of India and its Associates, (ii) Nationalised Banks (including IDBI Ltd. since December 2004), (iii) Foreign Banks, (iv) Regional Rural Banks, and (v) Other Scheduled Commercial Banks. Figures in brackets shown in these statements relate to Metropolitan Centres.
- 6. Statement 17 presents the data on distribution of centres served by Scheduled Commercial Banks (SCBs ) and Co-Operative Banks (Co-Op Bs).
- 7. A Centre is defined as the revenue unit classified and delineated by the respective State Government i.e., a revenue village/city/town/municipality/municipal corporation, etc., as the case may be, in which the branch is situated.
- 8. Population group classification of banked centres used for the March 2006 quarter and onwards has been revised based on population figures as per 2001 census as against the 1991 census used earlier, while the definition/cut-off size of population groups remains unchanged as follows:
  - a. 'Rural' group includes centres with population of less than 10,000.
  - b. 'Semi-urban' group includes centres with population of 10,000 and above but less than 1 lakh.
  - c. 'Urban' group includes centres with population of 1 lakh and above but less than 10 lakhs.
  - d. 'Metropolitan' group includes all centres with population of 10 lakhs and above. This fact may be considered while comparing population group-wise data for March 2006 quarter and onwards with those of the earlier quarters.
- 9. The totals in these statements may not exactly tally with the sum of the constituent items on account of rounding off of the figures. The unit one crore is equal to 10 million.
- 10. "-" indicates nil or negligible.